

सी.सी.टी. उड़ीसा व अन्य

बनाम

इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड

(सिविल अपील नं. 5123/2005)

फरवरी 28, 2008

(डा॰ अरिजीत पसायत, सी. के. ठक्कर और लोकेश्वर सिंह पंटा,

न्यायाधिपति)

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947; धारा 5(1) का 5 वां परन्तुक और धारा 11,23(4)(क)/उड़ीसा बिक्री कर नियम, 1947; नियम.80 और अधिनियम 1947 की धारा 5(1) के तहत जारी की गई अधिसूचना की प्रविष्टि- 48: बिक्री कर - निर्धारिती रिटर्न जमा कराते हुए घोषणा करता है कि उसके द्वारा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए खरीदी हुई कुछ निश्चित वस्तुओं पर बिक्री कर का भुगतान 4 प्रतिशत की दर से उन वस्तुओं की राशि पर अधिसूचना की प्रविष्टि 48 के अनुसार - निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत - पुनः मूल्यांकन - कारण बताओ नोटिस जारी करना - चुनौती - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति - शुद्धता को - प्रतिपादित: त्रुटिपूर्ण - उच्च न्यायालय विफल रहा उन मापदंडों को संज्ञान में लेने से जो सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार की समाप्ति के संबंध में उजागर किए थे,

आईसीआई/इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में - अतः उच्च न्यायालय का निर्णय बचाव योग्य नहीं - इस प्रकार अपास्त - कर निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया और प्राधिकारियों को कार्यवाही को कानून अनुरूप निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया गया - न्यायिक अनुशासन - की पालना करना।

प्रत्यर्थी- कर निर्धारिती, एक पंजीकृत विक्रेता है उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के तहत उसके द्वारा एक समेकित रिटर्न जमा की गई, अधिनियम की धारा 11 की शर्तों की तहत जिसमें उसने दावा किया कि विक्रय करने की वस्तुओं के निर्माण के लिए उसके द्वारा जो वस्तुएं खरीदी गई हैं वो पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शायी हुई हैं। करदाता वस्तुओं के विक्रेता को फॉर्म IV में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करता है और अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जारी की गई अधिसूचना की प्रविष्टि 48 के तहत ऐसे माल पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर का भुगतान करता है। यह दावा प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया। बाद में, प्राधिकारियों ने करदाता की देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन कर कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसको करदाता द्वारा रिट याचिका के माध्यम से चुनाैती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार कर कारण बताओ नोटिस को खारिज किया। इस प्रकार से वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को ऐसी रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब इसके द्वारा करदाता का रूख मूल्यांकन वर्ष 1997-98 और 1998-99 खारिज कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उक्त निर्णय का उल्लेख तक नहीं किया।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में कई मामलों में प्रतिपादित किए गए मापदंडों को नजरअंदाज किया है जो कि वैकल्पिक उपचार की समाप्ति के संबंध में दिये थे। साथ ही हाईकोर्ट ने एक अन्य खंडपीठ के फैसले जो कि मूल्यांकन वर्ष 1997-98 और मूल्यांकन वर्ष 1998-99 आईसीआईसी लिमिटेड में निर्णीत किया गया था, का भी उल्लेख नहीं किया गया। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय को उक्त मामले के निर्णय में निर्णीत सिद्धांत का उल्लेख करना चाहिए था। उस न्यायिक अनुशासन की पालना नहीं की गई है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च न्यायालय का फैसला बचाव योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। (पैरा - 7)
[625-ए, बी]

*आईसीआई/इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (2007)) 10
एससीआर 433- पर आधारित।

1.2 प्रत्यर्थी- कर निर्धारिती कारण बताओ नोटिस का जो कि दिनांक 14.01.2004 का है, जवाब दाखिल करेगा, यदि कोई भी हो। आयुक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करेंगे, यदि कोई हो, और कार्यवाही का निस्तारण कानून के अनुरूप करेंगे। (पैरा - 8) [625-सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5123/2005

उच्च न्यायालय उड़ीसा कटक के अंतिम आदेश/निर्णय रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1931/2004 दिनांक 7.1.2005 से

कीर्ति रेनु मिश्रा, अपीलकर्ताओं की ओर से।

जी. रामकृष्ण प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति सुनाया गया।

1. इस अपील में चुनौती दी गई उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय जो कि प्रत्यर्थी (इसके बाद कर निर्धारिती के नाम से जाना जायेगा) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकृति प्रदान करता है।

2. पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') एवं उड़ीसा बिक्री कर नियम, 1947 (संक्षेप में 'नियम') के तहत कर-निर्धारिती एक पंजीकृत विक्रेता है। मूल्यांकन वर्ष 2000-2001 के लिए कर-निर्धारिती ने एक समेकित रिटर्न अधिनियम की धारा 11 के तहत सहायक आयुक्त बिक्री कर, सुंदरगढ़ रेंज, राउरकेला (मूल्यांकन) के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त रिटर्न में कर-निर्धारिती ने दावा किया कि उसने जिन वस्तुओं का क्रय किया है उनमें अमोनियम नाइट्रेट है जो कि इसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शायी गयी है जो कि विक्रय के लिए वस्तुओं के निर्माण कार्य में उपयोग लिया जायेगा एवं इस आशय की घोषणा फॉर्म IV में वस्तुओं के विक्रेता को करते हुए और 4 प्रतिशत की दर से उन वस्तुओं की खरीद पर कर-निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया जो कि अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जारी अधिसूचना की प्रविष्टि 48 के तहत अधिसूचित की गई है। इस प्रकार का दावा सहायक आयुक्त, सुंदरगढ़ रेंज, राउरकेला (मूल्यांकन) द्वारा स्वीकार किया गया। इसके उपरांत उक्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 12(8) के तहत पुनःमूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई। जो कि बाद में निरस्त कर दी गई एवं अधिनियम की धारा 23(4)(ए) एवं सपठित नियम 80 (नियम 1947) के तहत आयुक्त बिक्री कर द्वारा दिनांक 14.01.2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर-निर्धारिती द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस को रिट याचिका दायर करते हुए चुनौती दी गई। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया

कि इस प्रकार का नोटिस बिना क्षेत्राधिकार के है। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जारी अधिसूचना की प्रविष्टि 48 और अधिनियम की धारा 5(1) का 5 वां परन्तुक को एक साथ विशुद्ध रूप से पढ़े जाने पर यह प्रकट होता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शायी हुई वस्तुओं एवं विक्रेता द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं को सिर्फ उड़ीसा राज्य के अंदर वस्तुओं के निर्माण कार्य के उपयोग में लिया जायेगा और इस प्रकार की निर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती उत्पाद भी हो सकती हैं जो कि अंतिम उत्पाद के आगे के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य के बाहर एवं भीतर भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

राजस्व ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। जब रिट याचिका को सुनवाई के लिए रखा गया, तो यह बताया गया कि इस प्रकार के विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों का निर्णयन अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह भी निवेदन किया गया कि कर-निर्धारिती ने जो व्याख्या दी है वह सही नहीं है। यह भी उल्लेखित किया गया कि मैसर्स आईसीआई लिमिटेड के मामले में प्रत्यर्थी/कर-निर्धारिती की एक सहायक कंपनी की इसी प्रकार की याचिका को खंडपीठ द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय का यह मत था कि रिट याचिका पर भी विचार किया जा सकता है भले ही

कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो। कर-निर्धारिती के मत को स्वीकारते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि जो नोटिस जारी किया गया है उसको रद्द किया जाना था, तदनुसार दिनांक 14.01.2004 को जारी किया गया प्रश्नगत नोटिस रद्द किया गया।

3.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को इस प्रकार की याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब मूल्यांकन वर्ष 1997-98 और 1998-99 में एक अन्य खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या ओजेसी नंबर 16928/1998 और 1500/2000 में कर-निर्धारिती का इसी प्रकार का मत खारिज कर दिया गया था। यद्यपि इस तथ्य को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, कि स्थिति ऐसी है, लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय का उल्लेखतक नहीं किया।

4.यह बताया गया कि उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर जवाबी हलफनामे के पैरा संख्या-9 में निर्णय दिनांक 09.10.2001 को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है कि उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में समान रूख को खारिज किया गया था।

5.यह बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आईसीआई इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (2007 (10) एससीआर 433) के मामले में

उच्च न्यायालय के ओजेसी नंबर 16928/1998 एवं 1500/2000 में व्यक्त मत को बरकरार रखा था।

6.प्रत्यर्धी-निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा, जब मामले को सुना गया।

7.ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के कई मामलों में प्रतिपादित मापदंड जो कि वैकल्पिक उपचार की समाप्ति से संबंधित है, को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा आईसीआई इंडिया लिमिटेड के संबंध में मूल्यांकन वर्ष 1997-98 एवं मूल्यांकन वर्ष 1998-99 के लिए अन्य खंडपीठ द्वारा दिये गये निर्णयों का उल्लेखतक नहीं किया। किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय को उक्त मामलों के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख करना चाहिए था। इस प्रकार न्यायिक अनुशासन की पालना नहीं की गई। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च न्यायालय का निर्णय बचाव योग्य नहीं है और अपास्त किया जाता है।

8.प्रत्यर्धी-कर निर्धारिती कारण बताओ नोटिस दिनांकित 14.01.2004 का जवाब आज से आठ सप्ताहों के भीतर दाखिल करे, यदि कोई हो। आयुक्त इस प्रकार के कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करे एवं कार्यवाही को विधि अनुसार निस्तारित करें।

9. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है बिना खर्च के
आदेश के।

एस.के.एस.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश कुमार कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।